C.A.No. 506/2015

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक–597 / 2006
संस्थित दिनांक–12.09.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – – – – – – – – अभियोजन

// विरूद्ध //

जगदीश वल्द तीरथ गोंड, उम्र–35 वर्ष,
निवासी–ग्राम बलगांव, तहसील बैहर,
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – – – – – – – – – – आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक–14 / 05 / 2015 को घोषित)

1– आरोपी के विरूद्ध धारा–27, 29, 31, 35(6), 35(8) सहपठित धारा–51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक–03.02.2006 को सुबह 7:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष कमांक–119 में बिना किसी अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया एवं उक्त स्थान के 10 नग हरे बांस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के काटकर वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया या बिगाड़ा।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक–03.02.2006 वन परिक्षेत्र भैंसानघाट के गश्तीदल सदस्य वनरक्षक मिलनसिंह मरावी, वनरक्षक रामसिंह वल्के, श्रमीक मंशाराम वल्द करत गोंड, श्रमीक धीरज वलद पंचम गोंड गश्ती करते–करते कान्हा टाईगर रिजर्व के कक्ष कमांक–119 में पहुंचने पर देखे की आरोपी जगदीश वल्द तीरथ गोंड बांस लेकर भाग रहा था, जिसे गश्तीदल के सदस्यों ने घेराबंदी कर पकड़ा और पूछा की तुम इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर बांस काट कर ले जा रहे हो, तब जगदीश ने कहा कि उसे मालूम है कि यहां बिना अनुमति प्रवेश कर बांस काट कर नहीं ले जाना चाहिये पर चोरी से वह वहां प्रवेश कर बांस

14.05.15
(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर

COURT FEE Rs.10 CANCELLED

C.f. = 10
2015/15

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य प्रतिनिधिकार

कान्हा से जंगल ले जा रहा है, तब वनरक्षक मिलनसिंह मरावी ने मौके पर आरोपी से 10 नग बांस व एक कुल्हाड़ी की जप्ती बनाकर पी.ओ.आर नंबर–2248/20, दिनांक–03.02.2006 जारी किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में उसके द्वारा अवैध रूप से कान्हा नेशनल पार्क में प्रवेश कर बांस काटते हुए ले जाने के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा– 27, 29, 31, 35(6), 35(8) सहपठित धारा–51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत् आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के दौरान पंचनामा, जप्तीपंचनामा, आरोपी के बयान, साक्षियों के बयान, मौकानक्शा तैयार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3– आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–27, 29, 31, 35(6), 35(8) सहपठित धारा–51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4– <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–</u>

1. क्या आरोपी ने दिनांक–03.02.2006 को सुबह 7:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष कमांक–119 में बिना किसी अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया एवं उक्त स्थान के 10 नग हरे बांस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के काटकर वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया या बिगाड़ा ?

<u>विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष</u> :–

5– परिवादी ए.जी. खान (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 2006 में भैंसानघाट गढ़ी में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक–03.02.2006 को आरोपी जगदीश पिता तिरथ के द्वारा कान्हा टाईगर के, प्रतिबंधित क्षेत्र कक्ष कमांक–119 में अवैध रूप से प्रवेश कर अवैध रूप से कुल्हाड़ी से 10 बॉस काटने का अपराध किया गया था। जिसकी कार्यवाही परिक्षेत्र सहायक अडवार, रमेश प्रसाद गौतम तथा वनरक्षक मिलन सिंह के द्वारा की गई थी। जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर दस्तावेज उसे प्राप्त होने पर आरोपी के विरूद्ध परिवाद पत्र प्रदर्श पी–11 प्रस्तुत किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। परिवाद पेश करने के लिए वन्य प्राणी

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर

संरक्षण अधिनियम की धारा–55 के अनुसार वह सक्षम प्राधिकृत है। परिवाद पत्र में संलग्न पंचनामा प्रदर्श पी–1, पी.ओ.आर कमांक–2248 प्रदर्श पी–2, जप्तीनामा प्रदर्श पी–3, आरोपी के बयान प्रदर्श पी–5, गवाह मिलनसिंह, रामसिंह, धीरज, मंशाराम के बयान कमशः प्रदर्श पी–4, 9, 8 एवं 6 हैं। मौके का नजरीनक्शा प्रदर्श पी–10 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–7 है। पंचनामा प्रदर्श पी–1, जप्तीनामा प्रदर्श पी–3, आरोपी के बयान प्रदर्श पी–5, पी.ओ.आर प्रदर्श पी–2, बयान प्रदर्श पी–4, 9, 8, 6, 10, 7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में परिवाद प्रस्तुति के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

6– जप्ती अधिकारी मिलनसिंह मेरावी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक–03.02.06 को वन गश्ती के दौरान कान्हा जंगल से बांस काटकर घर ले जा रहा था। उसे कान्हा के अंदर रामसिंह वल्के एवं मंशाराम, करनसिंह एवं धीरज के साथ पकड़ा था। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी–1 उसने बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पी.ओ.आर. प्रदर्श पी–2 काटा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने हरे बांस, कुल्हाड़ी आरोपी से जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–3 काटा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने इसके बाद कार्यवाही परिक्षेत्र अधिकारी को सौंप दिया था। उसने अपना बयान प्रदर्श पी–4 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7– उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पहले जप्तीपंचनामा बनाया था और उसके बाद पंचनामा बनाया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में मौके पर मौके का पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार करने, आरोपी से कटे हुए हरे बांस के पेड़ व कुल्हाड़ी जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी–3 के अनुसार जप्त किये जाने तथा आरोपी की उक्त अपराध कारित किये जाने की संस्वीकृति के बयान लेख किये जाने की महत्वपूर्ण कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

8– जप्ती अधिकारी की उक्त जप्ती कार्यवाही का समर्थन करते हुए साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) एवं धीरज (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी जगदीश को जानते है। घटना के समय आरोपी जगदीश कान्हा नेशनल पार्क से बांस काटकर ले जा रहा था, जिनकी संख्या 10 थी, जो बिना अनुज्ञा पत्र के बांस

CF = 10
18.05.15

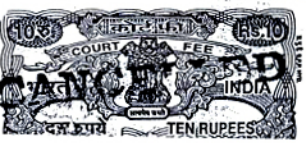

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य प्रतिलिपिकार

काटकर ले जा रहा था। उनके समक्ष पंचनामा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी समय आरोपी से 10 नग हरे बांस, एक कुल्हाड़ी जप्त की गई थी, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपी उनके सामने अपराध स्वीकार करने बाबत् प्रदर्श पी—5 का बयान दिया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने वनरक्षक को अपना बयान कमशः प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—8 दिया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—7 तैयार किया गया था।

9— उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्तीपंचनामा, पंचनामा, आरोपी के अपराध स्वीकारोक्ति के बयान की कार्यवाही का समर्थन उनके समक्ष निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है। उक्त साक्षीगण के कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से होता है।

10— परिक्षेत्र सहायक रमेश प्रसाद गौतम (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—03.02.06 को परिक्षेत्र सहायक के पद पर अडवार में पदस्थ था। उक्त दिनांक को कक्ष कमांक—119 में आरोपी जगदीश के द्वारा उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर कुल्हाड़ी से बांस काटकर ले जाया जा रहा था, जिसके संबंध में उसके द्वारा जांच कार्यवाही की गई। जांच कार्यवाही के दौरान आरोपी जगदीश के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए प्रदर्श पी—5 के अनुसार बयान दिया था कि वह दिनांक—03.02.06 को सुबह 7:00 बजे कान्हा रेंजर पार्क के कक्ष कमांक—119 में जाकर 10 हरे बांस काटकर ले जाया जा रहा था तब उसे वनरक्षक एवं श्रमिक के द्वारा पकड़ा गया था। आरोपी के बयान प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपराध के संबंध में वनरक्षक मिलनसिंह के बयान प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह धीरज, मंशाराम, रामसिंह के बयान कमशः प्रदर्श पी—8, 6, 9 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का कक्ष कमांक—119 का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह गश्तीदल में नहीं गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अन्य साक्षी मिलन, मंशाराम, धीरज व रामसिंह उसके विभाग के कर्मचारी हैं और मामलें में स्वतंत्र साक्षियों को शामिल नहीं किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से

12.05.15

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर

C.A.No. 206/2015

महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में आरोपी जगदीश के द्वारा आरोपित अपराध स्वीकार किये जाने के संबंध में लिये गए बयान प्रदर्श पी–5 को प्रमाणित किया है। आरोपी के उक्त अपराध स्वीकारोक्ति के बयान का समर्थन अन्य साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) एवं धीरज (अ.सा.3) के द्वारा अपनी साक्ष्य में किया गया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी व अनुसंधाकर्ता अधिकारी, की सभी कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होती है।

12– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया कि मामलें में किसी स्वतंत्र साक्षी को शामिल नहीं किया गया है, इस कारण विभागीय साक्षी की साक्ष्य से मामला संदेह से परे प्रमाणित होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी के द्वारा घटना कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में कारित की गई है, जहां पर आम जनता का प्रवेश निषेध है। ऐसी दशा में आरोपी से जप्ती की कार्यवाही, मौका पंचनामा व अन्य कार्यवाही किये जाते समय वन अधिकारी के अलावा अन्य स्वतंत्र साक्षी का न मिलना स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा विभागीय कर्मचारी की अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण भी प्रकट नहीं होता है। मात्र इस आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

13– आरोपी के द्वारा की गई उक्त अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छया से की जाना प्रकट होती है। मामलें की परिस्थिति से यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि उक्त संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही, पंचनामा एवं अन्य साक्षीगण के बयान एवं परिवाद के अनुरूप न्यायालयीन कथन से अभियोजन मामलें में संदेह किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

14– वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा–57 के अंतर्गत जहां इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पौधे, उनके भाग या उनसे प्राप्त वस्तु को अपने कब्जे में रखा है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट पौधे, उनके भाग को अपने अवैधानिक कब्जे में रखा है। इस मामले में आरोपी जगदीश से 10 नग हरे बांस जप्त होना प्रमाणित है। इस कारण यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी के पास 10 नग हरें बांस अवैध रूप से आधिपत्य में एवं अभिरक्षा में पाया गया है।

14.05.15

(सिराज अली)
व्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर

15— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी आरोपी जगदीश ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा के कान्हा नेशनल पार्क में हथियार कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश कर अपराध किया है। उक्त के अलावा आरोपी के पास 10 नग हरे बांस के अवैध आधिपत्य में होने से तथा आरोपी जगदीश की संस्वीकृति से उनके द्वारा अधिनियम की धारा—27, 29, 31 एवं धारा—35(6) का उल्लंघन कर अधिनियम की धारा—51 के अंतर्गत अपराध किया गया है।

16— अभियोजन ने आरोपी के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी जगदीश ने दिनांक—03.02.2006 को सुबह 7:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष कमांक—119 में बिना किसी अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया एवं उक्त स्थान के 10 नग हरे बांस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के काटकर वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया एवं बिगाड़ा। अतः आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31, 35(6), 35(8) सहपठित धारा—51 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

14.05.15

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

18— आरोपी व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उक्त आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2006 से विचारण का सामना कर रहा है तथा उसके विरूद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

19— प्रकरण में आरोपी मामले में वर्ष 2006 से विचारण कर रहें है तथा उसके विरूद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी के द्वारा अधिनियम की धारा—51 के परंतुक के अंतर्गत अपराध कारित नहीं किया गया है तथा आरोपी के द्वारा कम गंभीर अपराध कारित किया गया। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31, 35(6), 35(8)

14.05.15

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर

C.A.No.206/15/

आप. प्रकरण क.597 / 2006

सहपठित धारा–51 के अंतर्गत 6 माह का साधारण कारावास एवं 2,000 / –रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिकम की दशा में उसे दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

20– आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21– मामले में आरोपी दिनांक–03.02.2006 से दिनांक–21.02.2006 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र तैयार किया जाये।

22– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 10 नग बांस एवं एक कुल्हाड़ी पेश नहीं । अतएव उक्त संपत्ति का अपील अवधि पश्चात् उचित व्ययन हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट को ज्ञापन जारी किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

14.05.15
(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला–बालाघाट

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

14.05.15
(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला–बालाघाट

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सत्यमेव जयते
बैहर

C.A.No-206/15
28/5/15

... दिनांक 28/5/15
... गई दिनांक 6.5.15
... दिनांक 30.5.15
... सहित या संक्षेप
... दिनांक 30.5.15
... (अभिलेख के ... लिए और
... दिनांक 30.5.15
... की दिनांक
आवेदक को ...
सूचना देने की दिनांक
धारा (6) या (7) की सूचना ... की दिनांक 30.5.15
प्रतिलिपि ... की दिनांक
... दिनांक 30.5.15
... 35/

सत्य प्रतिलिपि
... अधिनियम की धारा ७६ के अन्तर्गत
नियमानुसार प्रदत्त एवं प्रमाणित
न्यायाधीश/...
... प्रतिलिपिकार
30.5.15